उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

9 नवंबर, 2022

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2520 2022

चरण सिंह व अन्य।

.....याचिकाकर्तागण

(श्री टी.ए. खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त सुश्री सदफ, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय भट्ट का संक्षिप्त विवरण रखते हुए)

बनाम

श्रीमती विमला देवी एवं अन्य। .....प्रत्यर्थीगण

(प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहरी और उत्तराखंड राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री योगेश सी तिवारी/प्रत्यर्थी संख्या 7)

निर्णय

संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत दर्ज इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर, उधमसिंहनगर द्वारा पारित 30.11.2021 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अन्तर्गत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ उनके द्वारा दर्ज पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया था, जिसे इस रिट याचिका में भी चुनौती दी गई है।

2. याचिकाकर्ता राजस्व वाद संख्या 22/15, 2015–16 जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा वर्ष 2016 दर्ज के में प्रतिवादी हैं। वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार, वादी संख्या 1 के ससुर और वादी संख्या 2 और 3 के पिता स्वर्गीय परमदेव सिंह भूमिधर जो कि कृषि भूमि के संबंध में अन्तरणीय अधिकार प्राप्त भूमिधर थे, जिसमें खसरा संख्या 29–खा और 30 चा

शामिल था, जो गांव झगरपुरी, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्थित है। परमदेव सिंह की मृत्यु के बाद, वादी का नाम राजस्व अभिलेखमें बदल दिया गया था।

3. वादपत्र में आगे निवेदन किया गया है कि स्वर्गीय परमदेव सिंह के भतीजे बेचन सिंह स्वर्गीय परमदेव सिंह के अभिकर्ता के रूप में भूमि की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि परमदेव सिंह जिला मऊ (उत्तर प्रदेश) में रह रहे थे; बेचन सिंह की मृत्यु के बाद, जब वादी संख्या 2 और 3 फरवरी, 2008 में ग्राम नंदपुर, जिला उधमसिंहनगर आए, तो उन्हें यह पता चला कि स्वर्गीय बेचन सिंह ने बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान विचाराधीन भूमि के संबंध में धोखाधड़ी से अपना नाम दर्ज किया था, और उसके बाद उन्होंने इसे प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के पक्ष में अवैध रूप से बेच दिया। (याचिकाकर्ता यहां)। वादी ने दिनांक 10.12.1996 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दर्ज किया, जिसके अन्तर्गत बेचन सिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था, और वादी द्वारा दर्ज आवेदन को सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2008 के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी, और वादी का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिधर के रूप में फिर से दर्ज किया गया था। अग्रतर यह अभिकथन किया गया कि स्वर्गीय बेचन सिंह ने वादी संख्या 1 स्वर्गीय रामजनम सिंह के पति के जाली हस्ताक्षर के साथ एक पारिवारिक समझौता किया था, हालांकि वह पिछले 31 वर्षों से अधिक समय से लापता थे और सिविल वाद संख्या 1483/2003 में जिला मऊ में सक्षम न्यायालय द्वारा उनकी सिविल मृत्यु घोषित की गई थी। वाद में, वादी ने यह घोषणा करने की मांग की, कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के पक्ष में स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा 26.04.1999 और 04.01.2000 को निष्पादित विक्रय विलेख शून्य घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा उन्हें सौंप दिया जाए।

4. याचिकाकर्ताओं, जो वाद में प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 हैं, ने पहले आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत इस तर्क के साथ एक आवेदन दर्ज किया था कि अनुतोष 'क' और 'ख' के लिए भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है और अनुतोष 'सी' के लिए कोई न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, और इसके अलावा वाद हेतुक का खुलासा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज आवेदन का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा 06.08.2019 के आदेश के अन्तर्गत किया गया था, जिसमें वादी को अनुतोष 'क' और 'ग' के लिए अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

5. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत एक और आवेदन दर्ज किया, जिसमें तर्क दिया गया कि विक्रेता (बेचन सिंह) 14.01.1996 को पारिवारिक समझौते के माध्यम से संबंधित भूमि का स्वामी बन गया, और जिस समय याचिकाकर्ताओं ने जमीन खरीदी, स्वर्गीय बेचन सिंह उक्त भूमि के पूर्ण स्वामी बन गए थे। आगे यह तर्क दिया गया कि वादी के बहाली आवेदन पर सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2008 के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने एक पुनरीक्षण दर्ज किया और दिनांक 10.03.2011 के आदेश के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त, कुमांऊ ने निर्णय को सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया, और रिमांड आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दर्ज की, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2011 के संचालन पर रोक लगा दी गई है, इसलिए, जब तक वादी द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष दर्ज बहाली आवेदन में गुण–दोष पर निर्णय नहीं लिया जाता है, वादी द्वारा दर्ज घोषणात्मक वाद के लिए वाद सुनवाई योग्य नहीं है, नतीजतन, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि वाद काल वर्जित है।

6. उक्त आवेदन को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर के आदेश दिनांकित 30.11.2021 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा विचारण न्यायालय के दिनांक 30.11.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण दर्ज किया, जिसे विद्वान आयुक्त, कुमाऊं मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश और आयुक्त द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

8. विद्वान सहायक कलेक्टर ने इस निर्णय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत दर्ज याचिकाकर्ताओं के आवेदन को अस्वीकार करने का वैध कारण दिया है। यह धारित किया गया है कि भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश की बहाली के लिए वादी द्वारा दर्ज आवेदन एक नियमित वाद पर रोक नहीं लगा सकता है जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि विक्रय विलेख शून्य है। उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 40–ए को भी संदर्भित किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश का स्वामित्व की घोषणा के लिए नियमित वाद में कोई प्रभाव नहीं होगा। विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अन्तर्गत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर पारित 06.08.

2019 के पहले आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि वादपत्र में वाद हेतुक का खुलासा नहीं हुआ था, को खारिज कर दिया गया था।

9. पुनरीक्षण न्यायालय ने भी इस निर्णय पर बहुत विस्तार से विचार किया है और 2011 की रिट याचिका संख्या 668 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित 28.10.2021 के अंतिम आदेश को भी पुनः प्रस्तुत किया है। समन्वय पीठ के आदेश के अवलोकन से विदित है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित रिमांड आदेश को, याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती असफल रही।

10. यह न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत है।

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालयों ने यह विचार नहीं करके त्रुटि की है कि वाद विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद दर्ज किया गया था, इसलिए, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेश रद्द किये जाने योग्य है।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया हैं कि उनके मुवक्किलों ने पहले सिविल न्यायालय के समक्ष एक घोषणात्मक वाद दर्ज किया था, हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दर्ज करके सिविल न्यायालय के समक्ष वाद की पोषणीयता पर प्रश्न उठाया, और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 02.09.2015 के फैसले के अन्तर्गत कहा कि कृषि भूमि के संबंध में सिविल वाद सुनवाई योग्य नहीं है और उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य रखा गया था। फलस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद दर्ज करना पड़ा। उन्होंने अग्रतर कथन दिया कि उनके मुवकिल उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले के निवासी हैं, और उन्हें पता नहीं था कि उनकी जमीन स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा चोरी–छिपे बेची गई थी, और जब उन्हें विक्रया विलेख के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत वाद दर्ज किया, इस प्रकार वाद दर्ज करने में उनकी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ, और परिसीमा की अवधि को बिक्री विलेख की जानकारी प्राप्त करने के दिनांक से गणना की जानी चाहिए।

13. सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत न्यायालय को वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज करने के लिए प्रदान की गई एक उग्र शक्ति है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय–समय पर दोहराया है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत एक आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। पोपट एंड कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि, (2005) 7 एससीसी 510 में रिपोर्ट किया गया है। पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"आदेश 7 नियम 11 का खंड (घ) वाद की बात करता है, जैसा कि वाद में दिए गए अभिकथन से प्रतीत होता है कि किसी भी विधि द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत दर्ज आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 के नियम 11 का खंड (घ) केवल उन मामलों में लागू होता है जहां वादी द्वारा वाद–पत्र में दिया गया बयान, बिना किसी संदेह या विवाद के, यह दर्शाता है कि वाद किसी भी प्रवृत्त विधि द्वारा वर्जित है।

14. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वाद पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि वाद–पत्र को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह पाया जाता है कि वाद परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत वर्जित है। तथापि, कभी–कभी परिसीमा का अभिकथन विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिस पर वाद बिन्दु विरचित करने और साक्ष्य लेने के पश्चात् ही निर्णय लिया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालासरिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम हनुमान सेवा ट्रस्ट (2006) 5 एससीसी 658 के निर्णय में धारित किया था, जैसा कि में बताया गया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक सार नीचे प्रस्तुत किया गया हैः–

पीठ ने धारित किया ''पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आदेश 7 नियम 11(घ) सी.पी.सी के अन्तर्गत आवेदन किया गया और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर हमारी राय है कि वर्तमान वाद को उचित अभिवचनों, परिसीमा के वाद बिन्दुओं को विरचित किए बिना और साक्ष्य लिए बिना परिसीमन द्वारा वर्जित मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। वर्तमान निर्णय में वादपत्र के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद परिसीमा से प्रतिबंधित है।

15. आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत न्यायालय को उपलब्ध शक्ति के सीमा पर विचार किया गया और पी. वी. गुरु राज रेड्डी बनाम पी. नीराधा रेड्डी (2015) 8 एस.सी.सी 331 के निर्णय में चर्चा की गई, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित है कि "सी.पी. सी के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वाद को अस्वीकार करना न्यायालय में परिसीमा पर सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए प्रदान की गई एक पूर्ववर्ती कठोर शक्ति है। इसलिए, आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तें कठोर हैं और न्यायालय द्वारा लगातार ऐसा माना गया है। वाद पत्र में कही गई बातों को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वाद हेतुक का खुलासा करता है या किसी विधि के अन्तर्गत वाद प्रतिबंधित है या नहीं। आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग के चरण में, लिखित कथनों में या वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन में प्रतिवादियों का रुख पूरी तरह से सारहीन है। यह केवल तभी होता है जब

वाद–पत्र में दिए गए कथन प्रथम दृष्टया वाद हेतुक का खुलासा नहीं करते हैं या इसे पढ़ने पर वाद किसी भी विधि के अन्तर्गत निषिद्ध प्रतीत होता है, वाद को खारिज किया जा सकता है। अन्य सभी स्थितियों में, दावों पर निर्णय वाद के विचरण के दौरान लेना होगा।

16. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता (2007) 10 एस.सी.सी 59 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है, में बताया गया है। उक्त निर्णय में, विचारण न्यायालय ने इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया कि वाद समय सीमा द्वारा प्रतिबंधित है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के उस आदेश को अपास्त किया जिसे उच्च न्यायालय ने मान्य करार किया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक सार निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः–

> ''21 जैसा कि पहले देखा गया है, आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत वाद की अस्वीकृति के लिए दर्ज आवेदन में आदेश पारित करने से पूर्व, पूरे वादपत्र को सत्यापित करना उचित है। उपर्युक्त आधार स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि 1974 के वाद संख्या 183 में पारित आज्ञप्ति वर्ष 1986 में वादी के संज्ञान में आई, जब वाद नहीं था। असेमा वास्तुकार बनाम राम प्रकाश 424/1989 को संस्थित किया गया था, जिसमें पूर्व आज्ञप्ति की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई थी और उसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द कदम उठाए और घोषणा के लिए और कब्जे के विकल्प में वाद दर्ज किया। यह विवादित नहीं है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 के अनुसार, जानकारी की दिनांक से तीन साल की अवधि के भीतर वाद दर्ज किया जाना चाहिए था। वाद पत्र में उल्लिखित जानकारी को अपर्याप्त और अधूरा नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है। आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर निर्णय लेते समय, कुछ पंक्तियों या गद्यांश को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसके वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए अभिकथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। हमारा विचार है कि अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही वाद पत्र में कही गई संबंधित सुसंगत कथनों को उल्लेख करने में विफल रहे।
>
> 22 यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि लिखित कथन दर्ज करने के बाद, वाद बिन्दु जिसमें परिसीमा का वाद बिन्दु भी शामिल था को विरचित किया गया, साक्ष्य लिये गये और बाद में वादी का प्रतिपरीक्षण किया गया। तद्पश्चात वाद के समापन से पूर्व आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन वाद निरस्त करने के लिए दर्ज किया गया था। यह उल्लेख करना भी उचित है कि अपीलकर्ता–वादी को इस आशय का कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था कि उसके द्वारा दर्ज वाद परिसीमा द्वारा निषिद्ध है।

23. पूरे वाद पत्र के कथनों को अवलोकित करने पर, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने बाद के चरण में इसे खारिज करके एक त्रुटि की है, वह भी उन सभी आधारों को देखे बिना ,जो वाद पत्र में उल्लेखित है। उच्च न्यायालय ने भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में यही गलती की है।

24. हमारी उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम 2003 के वाद संख्या 318 में सिविल न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित विचारण न्यायालय के दिनांक 20–2–2006 के आदेश और 2006 के आर.एफ.ए संख्या 188 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27–4–2006 के फैसले को रद्द करते हैं। परिणामस्वरूप, सिविल अपील की अनुमति दी जाती है और सिविल न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वह वाद को उसकी मूल फाइल में बहाल करें और इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः गुण–दोष के आधार पर इसका निस्तारण करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसीमा के प्रश्न को छोड़कर, हमने दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावे के गुण–दोष पर विचार नहीं किया है। कोई खर्च नहीं लगाया गया ।

17. श्रीहरि हनुमानदास टोटला बनाम हेमंत विट्ठल कामत और अन्य (2021) 9 एससीसी 99 के निर्णय में हाल ही में दिए गए एक निर्णय में बताया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या रेस ज्युडिकेटा, वाद–पत्र को खारिज करने का आधार हो सकता है। उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत शक्ति के दायरे का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 से 22 को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

18. इस स्तर पर, उन निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो विशेष रूप से इस सवाल से सम्बन्धित हैं कि क्या रेस ज्युडिकेटा वाद को निरस्त करने का आधार हो सकता है या नहीं। कमला बनाम केटी ईश्वर सा (कमला बनाम केटी ईश्वर सा, (2008) 12 एससीसी 661), विचारण न्यायाधीश ने विभाजन के वाद में वादपत्र को निरस्त करने के लिए एक आवेदन की अनुमति दी थी और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। एस.बी. सिन्हा, जे. दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से निर्णय देते हुए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 (घ) के दायरे की जांच की और कहाः

(एससीसी 668–69, पैरा 21–22)

21. आदेश 7 संहिता के नियम 11 (घ) का सीमित प्रयोग है। यह दशार्या जाना चाहिए कि वाद किसी भी विधि के अन्तर्गत निषिद्ध है। इस तरह का निष्कर्ष वाद–पत्र में दिए गए कथनों से निकाला जाना चाहिए। हमारे मत के अनुसार, आदेश 7 नियम 11 में विभिन्न खंडों को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि किसी दिए

गए निर्णय में, वाद की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन उसके विभिन्न उप–खंडों में निर्दिष्ट एक से अधिक आधारों पर दर्ज किया जा सकता है, इस आशय का एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। संहिता के आदेश 7 नियम 11 के खंड (घ) को लागू करने के लिए जो प्रासंगिक होगा, वह वाद पत्र में दिए गए कथन हैं। उस उद्देश्य के लिए, कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। न्यायालय की ओर से क्षेत्राधिकार के अभाव को विभिन्न चरणों में और संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लागू किया जा सकता है। आदेश 7 संहिता का नियम 11 एक है, आदेश 14 नियम 2 अलग है।

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) को लागू करने के उद्देश्य से, किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं की जा सकती है। पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले निर्णय के गुण–दोष के वाद बिन्दु उस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे। सभी वाद बिन्दु उक्त प्रावधान के अन्तर्गत आदेश का विषय नहीं होंगे।

न्यायालय ने आगे धारित कियाः कमला मामला (कमला बनाम केटी ईश्वर सा, (2008) 12 एससीसी 661) , एससीसी पी. 669, पैरा 23–25)

23. संहिता की धारा 12 के मद्देनजर, रेस ज्युडिकेटा के सिद्वान्त जब लागू होगा, तो एक और वाद को वर्जित कर देगें। विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न से संबंधित प्रश्न, जिसमें न केवल वाद पत्र की जांच की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि अन्य साक्ष्य और पूर्व के वाद में पारित आदेश को या तो प्रारंभिक वाद बिन्दु के रूप में या अंतिम सुनवाई में लिया जा सकता है, लेकिन, उक्त प्रश्न को उस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

24. यह कहना एक बात है कि वाद–पत्र में किए गए अभिकथन किसी भी वाद हेतुक का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन यह कहना अलग बात है कि यज्ञपि वह वाद हेतुक का खुलासा करता है किन्तु वह विधि द्वारा वर्जित है।

25. इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय इस संबंध में एक समान नहीं हैं। लेकिन, इससे जो व्यापक सिद्धांत निकाला जा सकता है, वह यह है कि उस स्तर पर न्यायालय किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं करेगा या तथ्य या विधि के विवादित प्रश्न पर विचार नहीं करेगा। यदि न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी विधिद्वारा प्रतिबंधित पाया जाता है, तो उसका अर्थ है कि उसके विषय–वस्तु को अस्वीकार करने के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय के निर्णय के उपर्युक्त दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है। चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियाम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट (चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियाम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612), पी. सदाशिवम, जे. (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए निर्णय देते हुए यह कहा कि: (एससीसी, पीपी 713–14, पैरा 10–11)।

> 10. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां वाद पत्र से वाद हेतुक का खुलासा नहीं होता है, मागें गये अनुतोष का सही मूल्यांकन नही किया जाता है और न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर सही नहीं किया जाता है, अपर्याप्त रूप से मुद्रित किया जाता है और न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, किसी भी विधि द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, आवश्यक प्रतियों को संलग्न करने में विफल रहता है और वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, न्यायालय के पास इसे खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग वाद के किसी भी चरण में या तो वाद दर्ज करने से पहले या प्रतिवादियों को समन जारी करने के बाद या वाद के समापन से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।
>
> 11. सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा इस स्थिति की व्याख्या की गई थी। (सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557), जिसमें, संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते समय, इसे निम्नानुसार धारित गया था: (एससीसी पृष्ठ 560, पैरा 9)

'9. आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, वह वाद पत्र में दिए गए कथन हैं। अधीनस्थ न्यायालय वाद के किसी भी चरण में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकती है–वाद दर्ज करने से पहले या वाद के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद। आदेश 7 सीपीसी के नियम 11 के खंड (क) और (घ) के अन्तर्गत एक आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए, वाद पत्र में दिए गए कथन सार्थक कथन हैं; लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा लिए गये तर्क उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी, इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन पर निर्णय

लिए बिना लिखित कथन दर्ज करने का निर्देश विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं हो सकती है।

यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, न्यायालय को वाद में दिए गए कथनों को अवलोकन होगा और वाद के किसी भी चरण में विचारण न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में कही गई बातें महत्वहीन हैं और यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाद पत्र में दिए गए कथनों/अभिकथनों की जांच करे। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे वादपत्र में दिए गए कथन है। उस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में ली गई तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और निर्णय केवल वाद–पत्र पर किया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रॉपर्टी (रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रॉपर्टी, (1998) 7 एससीसी 184) और मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल एमवी फॉर्च्यून एक्सप्रेस (मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल में दोहराया गया है। एम.वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100)

इसी तरह, सौमित्र कुमार सेन (सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644: (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329) निर्णय में, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत एक आवेदन दर्ज किया गया था, जिसमें इस आधार पर वाद को निरस्त करने का दावा किया गया था कि वाद रेस ज्युडिकेटा द्वारा प्रतिबंधित था। विचारण न्यायाधीश ने आवेदन को निरस्त कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पुष्टि की गई। ए.के. सीकरी, जे. ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहाः (सौमित्र कुमार सेनअ केस (सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644: (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329) , एससीसी पी 649, पैरा 9)।

'9. पहले उदाहरण में, यह देखा जा सकता है कि जहां तक स्थाई निषेधाज्ञा और आज्ञापक व्यादेश की अनुतोष का संबंध है, यह एक अलग वाद हेतुक पर आधारित है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा उस तरह की अनुतोष पर तभी विचार किया जा सकता है जब वादी इस तरह के वाद को लाने के लिए अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम हो। यदि अपीलकर्ता द्वारा अपने लिखित कथन में दिए गए कथन सही हैं, तो ऐसा वाद सुनवाई योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार पिछले दो वाद में यह पहले ही तय किया जा चुका है कि प्रतिवादी 1 वादी अपना हिस्सा लेने के बाद साझेदारी फर्म से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया था और यह अपीलकर्ता (या अपीलकर्ता और प्रतिवादी 2) है जो मेसर्स सेन इंडस्ट्रीज के मामलों

का प्रबंधन करने का हकदार है। हालांकि, इस स्तर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही धारित किया गया है, लिखित कथन में बचाव पक्ष पर गौर नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से केवल वाद पत्र को देखना होगा। यह संभव है कि चालाकी से तैयार किए गए वाद में, वादी ने 2008 के वाद संख्या 268 के बारे में विवरण नहीं दिया है जो उसके खिलाफ तय किया गया है। उन्होंने 1995 के वाद संख्या 103 का उल्लेख करना पूरी तरह से छोड़ दिया है, जिसमें निर्णय को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस अर्थ में, वादी–प्रतिवादी 1 दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, अगर अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथन अंततः सही पाए जाते हैं। हालांकि, विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, लिखित कथन में पेश किए गए इस तरह के बचाव को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन पर फैसला करते समय नहीं देखा जा सकता है।

कमला (कमला बनाम केटी ईश्वर सा, (2008) 12 एससीसी 661) का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा किः (सौमित्र कुमार सेन मामला (सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644: (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329) , एससीसी पी 650, पैरा 12)।

12. ... अपीलकर्ता ने पहले के दो मामलों के बारे में उल्लेख किया है जो प्रतिवादी 1 द्वारा दर्ज किए गए थे और जिसमें वह विफल रहा था। ये न्यायिक अभिलेख हैं। अपीलकर्ता पहले के दो वादें में अभिकथनों की प्रमाणित प्रतियां और साथ ही उन कार्यवाहियों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां दर्ज करके आसानी से अपने कथनों को दर्शा सकता है। वास्तव में, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा दिनांक 31–3–1997 पारित निर्णय और आज्ञप्ति में पारित आदेशों की प्रतियां, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित 31–3–1998 को पारित निर्णय की प्रति, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित आज्ञप्ति को मान्य रखने के साथ–साथ सिविल जज 2008 के वाद संख्या 268 में जूनियर डिवीजन द्वारा दिनांक 31–7–2014 को पारित निर्णय और आज्ञप्ति की प्रतियां, को अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर रखा गया है। पहले वाद पर निर्णय करते हुए, विचारण न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रतिवादी 1 ने 2,00,000 रुपये की राशि स्वीकार की थी और इसलिए, उक्त वाद को एस्टोपेल, अधित्यजन और सहमति के सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इस तरह के निर्णय में, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आश्रय उचित नहीं था, साथ ही, विचारण न्यायालय वाद बिन्दुओं के विचारण के पश्चात् उन वाद बिन्दुओं को उठा सकता है जो वाद की पोषणीयता से संबंधित हैं और पहली बार में उस पर निर्णय कर

सकते हैं। इस तरह से अपीलकर्ता, या उस निर्णय के लिए पक्षकारों को लंबी कार्यवाही की अनावश्यक पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है, अगर अपीलकर्ता अंततः अपने कथनों में सही पाया जाता है।

यह धारित हुए कि अपीलकर्ता द्वारा "आदेश 7 नियम 11 का आश्रय" उचित नहीं था, इस न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय विवादकों को विरचित करने के बाद उन वादबिन्दु को उठा सकता है जो वाद की पोषणीयता से संबंधित हैं और पहली बार में उन पर निर्णय कर सकते हैं। न्यायालय ने धारित किया कि इस प्रक्रिया से अपीलकर्ता को लंबी कार्यवाही से बचने में मदद मिलेगी।

19. शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (2020) 17 एससीसी 260) निर्णय में इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारित किया कि (एएम खानविलकर, जे.,) विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत एक वाद की अस्वीकृति पर विचार कर रहे थे। जिसका आधार समय सीमा द्वारा प्रतिबंधित होना था। न्यायालय ने सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557), चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट (चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियाम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612) सहित पहले के निर्णयों का उल्लेख किया और कहा किः (चर्च ऑफ क्राइस्ट; चैरिटेबल ट्रस्ट केस (चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल भरोसा– शैक्षिक दानशील सोसाइटी बनाम पोन्नियाम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706: (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612), एससीसी पी 714, पैरा 11)।

11. ... यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, न्यायालय को वादपत्र में दिए गए कथनों को देखना होगा और वाद के किसी भी चरण में विचारण न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में कहे गई कथन महत्वहीन हैं और यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाद पत्र में दिए गए कथनों/अभिकथनों की जांच करे। दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं वादपत्र में दिए गए कथन। उस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में लिए गये अभिकथन पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय केवल वादपत्र पर किया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रॉपर्टी (रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रॉपर्टी, (1998) 7 एससीसी 184) और

मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल एमवी फॉर्च्यून एक्सप्रेस (मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल, एमवी फॉर्च्यून में दोहराया गया है; एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100)।

20. उपर्युक्त निर्णयों के अवलोकन पर, आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

(i) वाद को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी भी विधि द्वारा निषिद्ध है, केवल वादपत्र में दिए गए कथनों को संदर्भित करना होगा;

(ii) वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव को आवेदन के गुण–दोष पर निर्णय लेते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए;

(iii)यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वाद रेस ज्यूडिकाटा द्वारा वर्जित है, यह आवश्यक है कि (i) 'पिछले वाद' पर निर्णित किया जा चुका है। (ii) बाद के वाद के वादबिन्दु सीधे और काफी हद तक पूर्व वाद में वादबिन्दु में थे; (iii) पूर्व वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच था जिनके माध्यम से वे दावा करते हैं, एक ही शीर्षक के अन्तर्गत वाद दर्ज करते हैं; और (iv) कि इन वादबिन्दुओं पर निर्णय लिया गया और अंत में वाद की सुनवाई के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया; और

(iv) चूंकि रेस ज्यूडिकाटा के अभिवाक् के निर्धारण के लिए 'पिछले वाद' में अभिकथनों, वादबिन्दुओं और निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा अभिवाक् आदेश 7 नियम 11 (घ) के सीमा से परे होगा, जहां केवल वादपत्र में दिए गए कथनों का अवलोकन करना चाहिए।

21. वर्तमान निर्णय में, वादपत्र के सार्थक पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पहले प्रत्यर्थी ने दूसरा वाद दर्ज किया, तो उसे 13 मार्च 2007 को संस्थित किए गए पहले वाद (ओएस संख्या 103/2007) में दूसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा चुका था। पहले प्रत्यर्थी ने दूसरा वाद, ओएस 138/2008 संस्थित किया हालांकि उन्हें पहले के वाद की जानकारी थी। पहले प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए वाद पत्र में इंगित करता है कि वह के.एस.एफ.सी के पक्ष में निष्पादित बंधक के बारे में जानता था, कि के.एस.एफ.सी ने अपने बकाया की वसूली के लिए संपत्ति बेचकर अपने भार को निष्पादित किया था और संपत्ति को अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती के पक्ष में 8 अगस्त 2006 को बेच दिया गया था। वास्तव में, वादपत्र में एक कथन है कि इस बात की पूरी संभावना थी कि पहले प्रत्यर्थी को ओ.एस 103/2007 डिक्री द्वारा कब्जा देना पड़ सकता है, जिसने पहले प्रत्यर्थी को बिक्री विलेख की वैधता को चुनौती देने के लिए

वाद दर्ज करने के लिए "मजबूर" किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले वाद में एक तर्क दिया गया था कि नीलामी को कोई चुनौती नहीं दी गई थी और बाद में के. एफ.एस.सी द्वारा विक्री विलेख का निष्पादित जिससे यह संभव है कि पहले प्रत्यर्थी ने तब अपने अधिकारों का प्रयोग करने का फैसला किया और फिर वाद दर्ज किया। वादपत्र को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पहले प्रत्यर्थी ने इस तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया है कि उस समय संपत्ति के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित था। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा वाद (ओएस संख्या 138/2008) की स्थापना के समय, ओएस संख्या 103/2007 में सिविल न्यायालय द्वारा कोई आज्ञप्ति पारित नहीं की गई थी। इस प्रकार, उस समय ओ.एस संख्या 103/2007 में उठाए गए वादबिन्दु पर निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए, वादपत्र, प्रथम दृष्टया किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं करता है जो हमें इस निष्कर्ष पर ले जा सकता है कि यह इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि यह रेस ज्युडीकाटा के सिद्धांतों द्वारा विर्जत है। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में सही कहा कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को वाद में दिए गए कथनों से परे जाना होगा, और ओएस संख्या 103/2007 में अभिकथनों और निर्णय और आज्ञप्ति का अवलोकन करना होगा। आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत एक आवेदन को वादपत्र के चार कोनों के भीतर तय किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत आवेदन को खारिज करने में सही थे।

22. उपरोक्त कारणों के लिए, हम धारित करते हैं कि वादपत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) के अन्तर्गत खारिज करने के योग्य नहीं था और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करते है। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बात पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है कि क्या दूसरे वाद को रेस ज्युडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हम अपीलकर्ता, जो के.एस.एफ.सी द्वारा आयोजित नीलामी में वाद संपत्ति के वास्तविक खरीदार के सम्पत्ति भागी के रूप में दावा करता है, को ओ.एस संख्या 138/2008 में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बेलगाम के समक्ष वाद की पोषणीयता का वादबिन्दुओं उठाने की स्वतंत्रता देते हैं। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बेलगाम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आदेश XV के अन्तर्गत एक प्रारंभिक वादबिन्दु विरचित किया जाना चाहिए, और यदि हां, तो प्रारंभिक वादबिन्दु को उठाने के 3 महीने की अवधि के भीतर इसे निर्धारित करें। किसी भी स्थिति में, वाद पर 31 मार्च 2022 की बाहरी सीमा के भीतर अंतिम रूप से अभिनिर्णित किया जाय।

18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने राघवेंद्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्न सिंह (मृत) (2020) 16 एससीसी 601 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास जताया। हालांकि, उक्त निर्णय अलग तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि उस निर्णय में वादी ने स्वयं 06.03.1981 को एक पंजीकृत दान विलेख निष्पादित किया था और वर्ष 2002 में, लगभग 22 वर्षों के बाद, उसके द्वारा घोषणात्मक वाद दर्ज किया गया था कि 1981 में निष्पादित दान विलेख एक दिखावटी लेनदेन है और दान विलेख के आधार पर प्रतिवादियों को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वाद–पत्र के अभिकथनों से यह स्पष्ट हो गया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।

19.वर्तमान मामले में, वादियों का तर्क है कि विक्रय विलेख स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया था और उन्हें फरवरी, 2008 में धोखाधड़ी बिक्री विलेख के बारे में पता चला, जब वे बेचन सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गांव गए थे।

20.इस प्रकार, क्या वादी ने फरवरी, 2008 में बिक्री विलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसा कि आरोप लगाया गया है या नहीं, यह एक प्रश्न है, जिसे आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करते समय तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में परिसीमा से सम्बन्धित प्रश्न, तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिसे पक्षकारों द्वारा साक्ष्य देने के बाद ही तय किया जा सकता है।

21.इस प्रकार, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

22.तद्नुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है, और निरस्त कर दी जाती है।

(न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी)